आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Kendriya Sainik Board (Department of Ex-Servicemen Welfare)

Orphan Grant for Children of Ex-Servicemen (Kendriya Sainik Board, via Uttarakhand Sainik Kalyan)

केंद्रीय सैनिक बोर्ड किसी भी रैंक के पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को, जब पूर्व सैनिक और विधवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो, 21 साल की उम्र या विवाह होने तक मासिक अनुदान देता है।

क्या मिल सकता है

पूर्व सैनिक और सैनिक विधवा दोनों की मृत्यु के बाद उनके अनाथ बच्चों के लिए मासिक अनुदान। यह बच्चे के 21 साल के होने या शादी होने तक, जो पहले हो, मिलता है। बोर्ड मंजूर रकम सीधे बैंक खाते में भेजता है।

किसके लिए है

किसी भी रैंक के पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता, यानी पूर्व सैनिक और विधवा, दोनों की मृत्यु हो चुकी है।

मुख्य शर्तें

- पूर्व सैनिक और सैनिक विधवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो
- बच्चा 21 साल से कम उम्र का और अविवाहित हो
- बेटी आवेदन करे तो सक्षम अधिकारी का अविवाहित होने का प्रमाण पत्र चाहिए

दस्तावेज़

- आवेदक की डिस्चार्ज बुक और पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक
- माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक बेटी हो तो अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट (ksb.gov.in) पर पंजीकरण करें और अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन आवेदन करें, जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
2. उत्तराखंड में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आवेदन की जांच कर उसे निदेशालय सैनिक कल्याण को भेजता है, जो जांच कर उसे केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजता है।
3. आवेदन सही पाए जाने पर बोर्ड मंजूर रकम सीधे आपके बैंक खाते में भेजता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/20250407175667 13.pdf
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/20250407175667 13.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/ksb-orphan-grant-esm-children/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।